lfpdkLr lfpdkvk dh lph&2014

tu&2014

df"k foHkkx

dze la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(कृषि)09/13	तृतीय एम0 ए0 सी0 पी0 का सुपुष्टि नहीं किये जाने के कारण संशोधित पेंशन एवं उपादान मामले का निष्पादन लंबित रहने के संबंध में श्री सुधिर रंजन प्रसाद, मुजफ्फरपुर का शिकायत ।	16.06.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण होगया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।

xkfe.k fodkl foHkkx

dze la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(ग्रा0वि0)18/13	प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय करौ का भवन निर्माण कार्य का भुगतान लंबित रखने व निर्माण हेतु समय विस्तार के संबंध में अंबिन्द कुमार दूबे, लोहरदगा का परिवाद ।	16.06.2014	इस प्रकार के परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । परन्तु परिवादी को यह सलाह देते हुए कि वह अपना परिवाद से संबंधित विस्तृत कथन उपायुक्त लोहरदगा के समक्ष रखे तथा वे इस पर समुचित कदम उठायें माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे बंद कर दिया गया ।

iFk fuek.k foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frFk	vfre vkn'k
1.	01/लोक(पथ)04/12	श्री प्रवीण कुमार–2 कार्यपालक अभियंता पथ निमार्ण विभाग राँची पर आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में श्री अशेक राम व मनोज कुमार का परिवाद ।	13.06.2014	निगरानी आयुक्त झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frFk	vfre vkn'k
1.	शिकायत सं. 107/14	LRDC के अदेश के अभिलेख की जांच करने के संबंध में श्री चित्तरंजन प्रसाद गुप्ता, हजारीबाग का शिकायत ।	12.06.2014	परिवादी द्वारा पूर्व में इसी वाद पर परिवाद दाखिल किया गया था जो माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में संचिकास्त कर दिया गया है । अतः एक ही वाद पर पुनः परिवाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	श्किायत सं 453/13	श्रीमती सिंहासन कुमारी सहायक शिक्षिका मध्य विद्यालय दुमका का प्रतिनियोजन रद्द करने के संबंध में श्रीमती नेन्सी कुमारी एवं अन्य का शिकायत ।	16.06.2014	परिवादीनी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।